



आदेश

श्री देवन्द्र कुमार नरवाल, सचिव, नगरपालिका, घरौण्डा को दिनांक 1-5-2018 से 31-5-2018 तक कुल 31 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दौरान श्री सैलेन्द्र कुमार, सचिव, नगरपालिका, इन्द्री को अपने कार्य के अतिरिक्त नगरपालिका, घरौण्डा का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है।

स्थान: पंचकुला
दिनांक 7-5-2018

नितिन कुमार यादव,
निदेशक, शहरीस्थानीय निकाय,
हरियाणा।

4829195

दिनांक

14/5/18

पृ० क्रमांकडी.यू.एल.बी./स्था./1ई/2018/133/PF/A/
एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।
2. उपायुक्त, करनाल।
3. श्री देवन्द्र कुमार नरवाल, सचिव, नगरपालिका, घरौण्डा।
4. श्री सैलेन्द्र कुमार, सचिव, नगरपालिका, इन्द्री
5. वेबपोर्टल।

अधीक्षक स्थापना,
कृते: निदेशक, शहरीस्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।